<u>हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित</u>

फा.सं./F. No. A-12018/3/2019

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन/
Petroleum and Explosives Safety Organisation
उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग/
Department for Promotion of Industry and Internal Trade,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय/ Ministry of Commerce and Industry

दिनांक : 17/08/2021

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) द्वारा क्रमशः जी.एस.आर 231 और जी.एस.आर. 431 के माध्यम से प्रकाशित मौजूदा भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए हिंदी अधिकारी के लिए भर्ती नियम, 1997 और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक एवं कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के लिए भर्ती नियम, 1996 (समूह 'ख) का मसौदा तैयार किया है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13/10/2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी-14017/61/2008-स्था.(आरआर) का ध्यान रखते हुए, इसके साथ संलग्न ड्राफ्ट नियमों पर सुझाव/आपत्तियां, यदि कोई हो, तो एतद्द्वारा सभी हितधारकों से विचार के लिए आमंत्रित किए जाते है।

हितधारक अपने सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, डाक द्वारा या ईमेल के माध्यम से मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, "ए" ब्लॉक, 5वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440006 को प्रस्तुत कर सकते हैं। ईमेल: explosives@explosives.gov.in

(डॉ. ए. के. दलेला)
विस्फोटक नियंत्रक (प्रशा.)
कृते मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, ---------- 2021

सा. का. नि.---------- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्देद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते करते हुए, और पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पूर्व में- विस्फोटक विभाग) (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1997 को जहां तक उनका संबंध हिंदी अधिकारी पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हैं, या करने से लोप किया गया है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन में समूह ''ख'' (राजपत्रित) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, हिंदी अधिकारी, समूह 'ख' (राजपत्रित) भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होनाः**- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनामान** :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विर्निदिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बात वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 13 में विर्निदिष्ट है।

5. निरर्हताएं :-- वह व्यक्ति --

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधन हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**- जहां किसी केन्द्रीय सरकारी की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशें के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाल व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए आवश्यक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
हिन्दी अधिकारी	01*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''ख'' राजपत्रित अनुसचीवीय	स्तर 7 रू. 44900- 142400	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए, विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में। श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्ति के लिए 1 वर्ष	प्रोन्नति न होने की दशा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	प्रोन्नति न होने की दशा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 1. प्रोन्नति के लिए (I) विभागीय वरिष्ठ हिंदी अनुवादक जिन्होंने ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो या प्रतिनियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता और अनुभव को पूरा करने वाले विभागीय उम्मीदवार। (II) प्रतिनियुक्ति के लिएः 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने स्तर 6 रू. 35400-112400 वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है, या (iii) जिन्होंने स्तर 5 रू. 29200-92300 वाले पदों पर 11 वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है:-- आवश्यक:-- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में	विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के लिए) 1. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक - अध्यक्ष 2. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक - सदस्य 3. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक प्रशासन का प्रभारी। - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नही है।

			मास्टर डिग्री या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंगेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंगेजी और हिन्दी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से और डिग्री स्तर पर अंगेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य, और (ii) हिन्दी में शब्दावली कार्य का और/या अंगेजी से हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंगेजी में अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमान्यता दी जाएगी, या हिन्दी में अध्यापन, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (i)संस्कृत और /या किसी आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान, (ii) प्रशासनिक अनुभव। (iii)टिप्पण और प्रारूपण से संबंधित हिन्दी कक्षाएं/कार्यशालाएं आयोजित करने का अनुभव। टिप्पण- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की		

			अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधरणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण- . ऐसे कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, ऐसी दशा में उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हों, से कम न हो, और जिन्होने अपने कनिष्ठ, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, उनके साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।"		

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, ---------- 2021

सा. का. नि.---------- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्देद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते करते हुए, और पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पूर्व में-विस्फोटक विभाग) (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1996 को जहां तक उनका संबंध वरिष्ठ हिंदी अनुवादक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हैं, या करने से लोप किया गया है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन में वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, समूह ''ख'' (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होनाः**- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।
3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनामान** :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विर्निदिष्ट है।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बात वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 13 में विर्निदिष्ट है।
5. **निरर्हताएं** :-- वह व्यक्ति --

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र होगा:

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधन हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**- जहां किसी केन्द्रीय सरकारी की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशें के अनुसार अनुसूचित जातियेां, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियेां के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची- I

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	01*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''ख'' अराजपत्रित गैर अनुसचीवीय	स्तर 6 रू. 35400-112400	लागू नही।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए छूट) नोट: आयु सीमा निर्धारित करने की तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निश्चित की जाएगी। (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं है, आयु सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी/ अंगेजी मुख्य विषय के साथ हिन्दी/ अंगेजी में मास्टर डिग्री (जिसमें डिग्री स्तर पर अनिवार्य और वैकल्पिक शब्द शामिल है) या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी/ अंगेजी मुख्य विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री (जिसमें अनिवार्य और वैकल्पिक शब्द शामिल है) डिग्री स्तर पर

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति:- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में। श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नही	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/ आमेलन द्वारा दोनों के ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नतिः कनिष्ठ अनुवादक में से, जिसने इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की है। प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर स्थानांतरण: केंद्र सरकार के अधिकारियों में से: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदो को धारण किए है; या (ii) पद स्तर -5 रु. 35400-112400 - या समतूल्य ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ; या (iii) पद स्तर -4 रु. 25500-81100 ग्रेड में 7 साल की नियमित सेवा के साथ; तथा (ख) स्तंभ 7 के अनुसार या सीधी भर्ती में निर्धारित अर्हता और अन्य योग्यताएं रखने वाले। टिप्पण- . पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए	पदोन्नति/पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक - अध्यक्ष 2. उप. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक - प्रशासन प्रभारी- सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य	लागू नही

			जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधरणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण- . ऐसे कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, ऐसी दशा में उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हों, से कम न हो, और जिन्होने अपने कनिष्ठ, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, उनके साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।"		

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, ---------- 2021

सा. का. नि.---------- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्देद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते करते हुए, और पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पूर्व में-विस्फोटक विभाग) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1996 को जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हैं, या करने से लोप किया गया है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, समूह ''ख'' (अराजपत्रित) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, समूह 'ग' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होनाः**- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।
3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनामान** :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विर्निदिष्ट है।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बात वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 13 में विर्निदिष्ट है।
5. **निरर्हताएं** :-- वह व्यक्ति --

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र होगा:

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधन हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**- जहां किसी केन्द्रीय सरकारी की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशें के अनुसार अनुसूचित जातियेां, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियेां के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची- I

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	05* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह ''ग'' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर 6 रू. 35400-112400.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं [केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट) नोट:- आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित के अनुसार होगी	डिग्री स्तर पर अनिवार्य और वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी / अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी / हिंदी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री। या मुख्य विषय के रूप में हिंदी / अंग्रेजी के साथ स्नातक की डिग्री (जिसमें अनिवार्य और वैकल्पिक शब्द शामिल हैं)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति:- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में। वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	**12**	13
लागू नही	दो वर्ष होता	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन पर स्थानांतरण/ जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	सीधी भर्ती :- स्तंभ संख्या 7 में निर्धारित के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण - स्थानांतरण: केंद्र सरकार के अधिकारी में से(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदो को धारण किए है; या (ii) पद स्तर -4 रु. 25500-81100 या समतूल्य ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ; या (iii) पद स्तर -2 रु. 19900-63200 या समतूल्य ग्रेड में तेरह साल की नियमित सेवा के साथ और (ख) स्तंभ 8 के अनुसार या सीधी भर्ती में निर्धारित अर्हता और अन्य योग्यताएं रखने वाले। टिप्पण- . पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के	पदोन्नति/पुष्टि/आमेलन पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक - अध्यक्ष 2. उप. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक -प्रशासन प्रभारी- सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य	लागू नही

			पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधरणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 (छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारियों के मामले में ही आमेलन हो सकता है।		